

डी.ई.ओ. कार्य हेतु

1. इच्छुक फर्म/ठेकेदार/संस्थान/एजेंसी को अपनी निविदायें सील बन्द लिफाफे में भेजना होगी एवं ऑनलाईन पोर्टल पर भी अपलोड की जा सकती है। संबंधित जानकारियां निविदा-प्रपत्रों के निर्धारित प्रारूप में देना होगी।
2. लिफाफों के ऊपर "आउटसोर्सिंग श्रमिकों (डी.ई.ओ.) की प्रदायगी हेतु निविदा" अंकित कर उप महालेखाकार (प्रशासन) कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, म.प्र. लेखा भवन ग्वालियर का पता लिखना होगा। दरे ऑफलाईन निम्नानुसार अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें :-
 - (i) प्रथम सील बंद लिफाफा - डिमान्ड ड्राफ्ट
 - (ii) द्वितीय सील बंद लिफाफा- वांछित दस्तावेज (पात्र योग्यताएं)
 - (iii) तृतीय सील बंद लिफाफा- फर्म द्वारा प्रस्तावित दर (प्रतिशत में)
 - (iv) चतुर्थ सील बंद लिफाफा- उपरोक्त लिफाफा क्रं. (i) से (iii) तक समस्त लिफाफो के ऊपर आवश्यक विवरण जैसे- डिमाण्ड ड्राफ्ट, वांछित दस्तावेज एवं दरो का लिफाफा अंकित करना अनिवार्य है।
3. फर्म/ठेकेदार/संस्थान/एजेंसी को डी.ई.ओ. कार्य हेतु बयाना राशि के रूप में किसी भी कामर्शियल/राष्ट्रीयकृत बैंक का रु. 50,000/- (रुपयें पचास हजार हजार मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट जो कि Pay and Accounts Officer O/o the Pr. A.G. (A&E)-I M.P. Gwalior को देय हो, संलग्न करना अनिवार्य है ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से निविदा प्रस्तुत करने वाले निविदाकर्ता को डिमान्ड ड्राफ्ट की मूल प्रति अंतिम तिथि से पूर्व कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। वांछित धरोहर राशि के बिना पायी गयी निविदा को अस्वीकार कर दिया जावेगा।
4. ऐसे निविदाकार जो कि ऑफ लाईन निविदा प्रस्तुत करना चाहते है वे इस कार्यालय की वेबसाईट www.agmp.gov.in से निविदा प्रारूप डाउनलोड कर, श्री जे.एन.पेरूमल उप महालेखाकार (प्रशासन) कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, म. प्र. लेखा भवन ग्वालियर-474002 के सचिवालय में स्थापित एवं निर्धारित निविदा बॉक्स में दिनांक 18.03.2021 को सायं 3:00 बजे तक प्रस्तुत कर सकते है। विलंब से प्राप्त निविदायें मान्य नहीं की जायेगी।
5. प्राप्त निविदाएँ (Online एवं Off Line) दिनांक 19.03.2021 को अपरान्ह 3:00 बजे इच्छुक उपस्थित सेवाप्रदाता/संस्थानों/एजेंसियों/ठेकेदारों के समक्ष खोली जायेगी।
6. सक्षम प्राधिकारी को बिना कारण बतायें किसी भी अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त करने का एवं निविदा को कम या अधिक दर पर स्वीकृत करने का अधिकार है इसके विरुद्ध फर्म/ठेकेदार/संस्थान/एजेंसी द्वारा कोई भी कार्यवाही संस्थित नहीं की जा सकेगी।
- (7) कार्य के दौरान सभी जानकारी गोपनीय रखनी होगी एवं उसे किसी भी प्रकार से वैयक्तिक अथवा वाणिज्यिक उपयोग में नही लाया जायेगा। यदि कोई कुशल श्रमिक दो दिन से अधिक समय तक कार्य से अनुपस्थित रहता है तो फर्म को उस व्यक्ति के स्थान पर वैकल्पिक व्यक्ति उपलब्ध कराना होगा।
- (8) फर्म/ठेकेदार/संस्थान/एजेंसी द्वारा प्रदाय किये डी.ई.ओ. को हिंदी एवं अंग्रेजी की कम्प्यूटर Typing के साथ कम्प्यूटर MS. Office Package का ज्ञान होना आवश्यक है।

अ.प्र.
वरिष्ठ-लेखा अधिकारी
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक)-प्रथम
मध्यप्रदेश-ग्वालियर

- यदि वह किसी भी समय कार्य के योग्य नहीं पाया जाता है तो उसके स्थान पर तत्काल दूसरे व्यक्ति की सेवायें फर्म को प्रदाय करना होगी।
- (9) फर्म/ठेकेदार/संस्थान/एजेंसी द्वारा प्रदत्त डी.ई.ओ. का कार्य संतोषजनक न रहने की दशा में या अनुबन्ध की शर्तों का पालन न करने की दशा में उपमहालेखाकार (प्रशा.) द्वारा अनुबन्ध कभी भी निरस्त किया जा सकता है। एवं निविदा प्रपत्र के घोषणा पत्र में दी गई जानकारी असत्य पाये जाने पर भी अनुबन्ध निरस्त किया जा सकता है।
 - (10) फर्म/ठेकेदार/संस्थान/एजेंसी को वर्तमान श्रम कानून एवं अन्य नियमों का पालन करना अनिवार्य है। किसी भी विवाद की स्थिति में प्रधान महालेखाकार महोदय का निर्णय अंतिम होगा एवं इसके विरुद्ध फर्म/ठेकेदार/संस्थान/एजेंसी द्वारा कोई कार्यवाही/कानूनी कार्यवाही संस्थित नहीं की जा सकेगी।
 - (11) फर्म/ठेकेदार/संस्थान/एजेंसी द्वारा प्रदत्त श्रमिक किसी भी दशा में विभाग में किसी भी प्रकार की नियुक्ति के हकदार नहीं होंगे।
 - (12) कार्य के दौरान यदि कोई शासकीय सम्पत्ति फर्म के श्रमिक को उपलब्ध कराई जाती है तो वे उसके सुरक्षा एवं रखरखाव के लिये पूर्णरूप से जिम्मेदार होंगे।
 - (13) फर्म/ठेकेदार/संस्थान/एजेंसी द्वारा प्रदाय डी.ई.ओ. का इस कार्यालय द्वारा कम्प्यूटर के संबंध में ज्ञान एवं Proficiency हेतु 1/2 घण्टे का Skill Test लिया जावेगा। Skill Test में पास डी.ई.ओ. को सफल माना जावेगा व तदनुसार निविदाकारों को Skill Test पास किये हुये डी.ई.ओ. को इस कार्यालय में कार्य हेतु उपलब्ध कराना होगा। Skill Test में असफल रहने पर निविदा अमान्य कर फर्म/ठेकेदार/संस्थान/एजेंसी द्वारा जमा कराई गई धरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी।
 - (14) फर्म/ठेकेदार/संस्थान/एजेंसी से प्रारंभिक तौर पर 31 मार्च-2022 तक डी.ई.ओ. की सेवायें ली जायेगी कार्य संतोषजनक होने पर इसे भविष्य में आगे भी जारी रखा जा सकता है। इस संबंध में इस कार्यालय का निर्णय अंतिम होगा।
 - (15) फर्म/ठेकेदार/संस्थान/एजेंसी को भुगतान माहवार किया जायेगा जिसमें आयकर टी.डी.एस. की कटौती एवं अन्य कर की कटौती की जायेगी।
 - (16) दरें स्वीकार किये जाने के उपरांत करार किये जाने से पूर्व 10 प्रतिशत प्रतिभूति राशि एफ.डी.आर. के रूप में जमा करनी होगी। जो कि Pay and Accounts Officer O/o the Pr. A.G. (A&E)-I M.P. Gwalior को देय हो, काम प्रदर्शन (निष्पादन) प्रतिभूति राशि के रूप में जमा करनी होगी, जो कि कार्य के सन्तोष जनक समाप्ति पर ठेके की समयावधि पश्चात वापिस कर दी जावेगी। शर्तों के अनुपालन न किये जाने की स्थिति में प्रतिभूति राशि राजसात की जा सकती है।
 - (17) कार्यादेश का एक भाग या पूर्ण कार्यादेश को लिखित नोटिस देकर निरस्त किया जा सकता है फर्म को कार्यादेश निरस्त करने के आदेश के दिन तक सभी कार्य सभी दृष्टि से पूर्ण कर सक्षम अधिकारी को किये गये कार्य से संतुष्ट कराकर सुपुर्द करना होगा तभी वह भुगतान का पात्र होगा एवं फर्म को शेष बचा हुआ कार्य पूर्ण करके बिना किसी क्षतिपूर्ति के छोड़ना होगा।
 - (18) फर्म/ठेकेदार/संस्थान/एजेंसी के पास ख्याति प्राप्त संस्थानों विशेषतः शासकीय विभाग जिसमें कर्मचारियों की संख्या 200 से कम न हो कार्य करने का कम से कम 5 वर्षों का अनुभव होना चाहिये। अनुभव प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

8/6/22
वरिष्ठ लेखा अधिकारी
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं इकाई-प्रवर्तन)
मध्यप्रदेश-ग्वालियर

- (19) कार्य का सम्पादन किये जाने के दौरान मानव, मशीनों उपकरणों और भवन को किसी भी दुर्घटना/हानि से रोकने के लिये, संस्थान को सुरक्षा सम्बन्धी समस्त मानकों/माप दण्डों तथा सावधानियों का पालन करना आवश्यक होगा। इस उपबन्ध की अनदेखी करने या लापरवाही करने की स्थिति में प्रधान महालेखाकार द्वारा संस्थान/ठेकेदार के विरुद्ध उचित दण्ड आरोपित किया जायेगा।
- (20) पक्षों के बीच पारस्परिक सहमत हुयी दरें ठेके की समयावधि तक लागू रहेगी। सिवाय यह कि कामगार/श्रमिकों की मजदूरी की दरें पुनरीक्षित की जावें यदि भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा उन्हें बढ़ाया गया हो।
- (21) कार्यालय द्वारा विभिन्न कार्य हेतु निर्धारित अवधि हेतु ठेका दिया जाना है लेकिन निर्धारित अवधि से पूर्व भी बिना कारण बतायें अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।
- (22) फर्म/ठेकेदार/संस्थान/एजेंसी द्वारा कामकारों/श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी एक्ट, 1948 के प्रावधानों के अन्तर्गत मासिक आज्ञासूचक (आज्ञात्मक) न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी भुगतान नहीं करेगा।
- (23) फर्म/ठेकेदार/संस्थान/एजेंसी माह की समाप्ति पर उक्त माह का बिल उसके द्वारा प्रदाय की गयी सेवाओं जिसमें कामगारों/श्रमिकों का व्यय भार हो प्रस्तुत करेगा।
- (24) यह कार्यालय तत्काल प्रभाव से फर्म से उसके किसी भी कामगार/श्रमिक को बिना कारण बताये कार्यालय भवन से निकालने का अधिकार रखता है।
- (25) फर्म/ठेकेदार/संस्थान/एजेंसी कार्य को किसी भी रूप में कार्यान्वित करने हेतु किसी अन्य उप संस्थान/उप एजेंसी/उप ठेकेदार को नहीं देगा।
- (26) फर्म/ठेकेदार/संस्थान/एजेंसी को श्रमिकों से सम्बन्धित सभी नियमों एवं अधिनियमों (विधियों), दुर्घटना, कामगार मुआवजा एक्ट, कामगार क्षतिपूरक बीमा आदि नियमों/कानूनों का दृढ़ता से पालन करना होगा। इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी फर्म/ठेकेदार/संस्थान/एजेंसी की होगी। इससे सम्बन्धित किसी भी विवाद होने पर, किसी भी स्तर पर यह कार्यालय पक्षकार नहीं बनेगा। संस्थान की किसी भी अक्षमता के कारण उत्पन्न उत्तरदायित्व के प्रकरण में (किसी भी परिस्थिति में) कार्यालय की कोई जवाब देही (उत्तर दायित्व) नहीं होगी।
- (27) सभी कुशल श्रमिकों का भुगतान सहायक लेखा अधिकारी कार्यपालन शाखा की निगरानी में कर इस आशय का प्रमाण-पत्र लिया जाए।
- (28) फर्म/ठेकेदार/संस्थान/एजेंसी को उत्तम चरित्र एवं स्वस्थ तथा पुलिस वेरीफिकेशन किये गये श्रमिकों को कार्य पर प्रतिनियुक्त करना होगा।
- (29) किसी भी विवाद की स्थिति में प्रधान महालेखाकार का निर्णय अंतिम होगा एवं उक्त निर्णय के विरुद्ध फर्म द्वारा कोई कार्यवाही संस्थित नहीं की जा सकेगी।

(II) पात्र योग्यताएं :-

1. फर्म/ठेकेदार/संस्थान/एजेंसी के पास चालू ठेके के लिये मान्य श्रमिक पंजीयन होना चाहिये।
2. फर्म/ठेकेदार/संस्थान/एजेंसी को जी.एस.टी. डिपार्टमेन्ट में पंजीकृत होना अनिवार्य है। (विगत 03 वर्षों की रिटर्न की छायाप्रति संलग्न करना होगी।)
3. फर्म/ठेकेदार/संस्थान/एजेंसी को ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. विभाग में पंजीकृत होना अनिवार्य है। (विगत तीन वर्षों के चालान संलग्न करना होगा)

CSM
वरिष्ठ लेखा अधिकारी
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक)-प्रथम
मध्यप्रदेश-ग्वालियर

4. फर्म/ठेकेदार/संस्थान/एजेंसी का PAN No. होना अनिवार्य है। (विगत तीन वर्षों की आयकर रिटर्न की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है)
5. फर्म/ठेकेदार/संस्थान/एजेंसी के पास ख्याति प्राप्त संस्थाओं विशेषतः शासकीय क्षेत्र अर्थात् उस कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या लगभग 200 हो में संबंधित कार्य करने का कम से कम पांच वर्षों का अनुभव होना चाहिये। (छायाप्रति संलग्न करना होगी)
6. फर्म/ठेकेदार/संस्थान/एजेंसी का सालाना टर्न ओवर 25 लाख (रूपये पच्चीस लाख) से कम न हो इस हेतु विगत तीन वर्षों की बैलेंस शीट की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
7. निविदा फार्म के साथ धरोहर राशि रु. 50,000/- (रूपये पचास हजार मात्र) का डिमान्ड ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य है। धरोहर राशि के बिना निविदा प्राप्त होने पर निविदा अस्वीकार कर दी जावेगी।
8. 05 प्रतिशत सर्विस चार्ज (05% Service Charge) से कम सर्विस चार्ज कार्यालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जावेगा अर्थात् 05 प्रतिशत से सर्विस चार्ज कम होने पर उक्त निविदाकर्ता की निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
9. एक से अधिक सेवा प्रदाता की दरे समान पाई जाती है तो समिति द्वारा जो निर्णय लिया जावेगा वह निर्णय अंतिम होगा तथा उक्त निर्णय को फर्म को मान्य करना होगा एवं उक्त निर्णय के विरुद्ध फर्म द्वारा कोई कार्यवाही संस्थित नहीं की जा सकेगी।
10. स्थानीय फर्म को ही प्राथमिकता प्रदान की जावेगी।
11. राशि रु. 100 के नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प पर घोषणा पत्र लगाया जाना अनिवार्य है।

(II) दो या दो से अधिक फर्म/ठेकेदार/संस्थान/एजेंसी की दरें समान प्राप्त होने की स्थिति में निम्न प्रक्रिया के अन्तर्गत सेवा प्रदाता का निर्धारण किया जावेगा।

क्रं.	विवरण	निर्धारित अंक अधिकतम
1.	जी.एस.टी. रिटर्न (विगत 03 वर्षों की स्थिति)	02
2.	ई.पी.एफ. चालान (विगत 03 वर्षों की स्थिति)	01
3.	ई.एस.आई.सी. चालान (विगत 03 वर्षों की स्थिति)	01
4.	आयकर रिटर्न (विगत 03 वर्षों की स्थिति)	01
5.	अनुभव (विगत 05 वर्षों की स्थिति)	02
6.	विगत 03 वर्षों का टर्नओवर (बैलेंस शीट की छायाप्रति)	01
7.	स्थानीय फर्म	02

Bm
वरिष्ठ लेखा अधिकारी
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक) - प्रथम
मध्यप्रदेश - ग्वालियर

(III) भुगतान का तरीका

फर्म/ठेकेदार/संस्थान/एजेंसी द्वारा माह के दौरान प्रदाय किये गये श्रमिकों का बिल कार्यवाही हेतु माह के प्रथम सात कार्यालयीन दिवस तक प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिये तथा कार्यालय फर्म/ठेकेदार/संस्थान/एजेंसी के पक्ष में ई-पेमेन्ट द्वारा भुगतान करेगा। कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा।

04/01/21
वरिष्ठ लेखा अधिकारी
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक)-प्रथम
मध्यप्रदेश-ग्वालियर

हस्ता/-
(जे.एन.पेरूमल)
उप महालेखाकार (प्रशासन)
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम
म.प्र. ग्वालियर

डी.ई.ओ. कार्य (कुशल श्रमिक)

1.	फर्म का नाम	
2.	स्थायी पता	
3.	फर्म का पंजीयन नम्बर (प्रति संलग्न करें)	
4.	जी.एस.टी. नम्बर (प्रति संलग्न करें)	
5.	आयकर नम्बर (प्रति संलग्न करें)	
6.	ई.पी.एफ. नम्बर (प्रति संलग्न करें)	
7.	ई.एस.आई.सी. नम्बर (प्रति संलग्न करें)	
8.	अनुभव (प्रति संलग्न करें)	
9.	धरोहर राशि का विवरण (संलग्न करें)	
10.	अन्य विवरण यदि कोई हो	
11.	आधार कार्ड (प्रोपराईटर) की छायाप्रति।	
12.	मोबाईल नं./टेलीफोन नं.	

दिनांक:-

CSM
वरिष्ठ लेखा अधिकारी
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक)-प्रथम
मध्यप्रदेश-ग्वालियर

फर्म प्रभारी के हस्ताक्षर

फर्म का नाम

फर्म की सील

डी.ई.ओ. कार्य हेतु संस्था द्वारा प्रस्तुत की गई दरे

प्रस्तावित सेवा प्रभार दर (केवल प्रतिशत में)	
अंको में	
शब्दों में	

दिनांक

फर्म का नाम-

हस्ताक्षर:-

सील-

मोबा नं./टेलीफोन नं.-

aslm
04/12/21
परिष्कृत लेखा अधिकारी
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक)-प्रथम
मध्यप्रदेश-ग्वालियर

घोषणा

निम्नानुसार घोषणा राशि रू. 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर पर देनी होगी।

1. यह कि संस्था/फर्म किसी विवाद में सम्बद्ध नहीं है जो इस निविदा के अन्तर्गत किसी सेवाओं के प्रदायगी को प्रभावित कर सकता है।
2. यह कि संस्था/फर्म केन्द्रीय/राज्य सरकार/निजी क्षेत्र द्वारा काली सूची बद्ध (Black List) नहीं किये गये है।
3. यह कि संस्था/फर्म द्वारा कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम म.प्र. ग्वालियर द्वारा तय की गयी नियम व शर्तें पढ़ ली है तथा संस्था/फर्म उससे सहमत है।
4. यह कि दो या दो से अधिक फर्म/ठेकेदार/संस्थान/एजेंसी की दरें समान प्राप्त होने की स्थिति में कार्यालय द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया जो कि निविदा प्रपत्र के साथ प्रकाशित की गई है से संस्था/फर्म पूर्ण रूप से सहमत है।

बरिष्ठ
लेखा अधिकारी
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम
मध्यप्रदेश-ग्वालियर

(निविदाकार/ठेकेदार के हस्ताक्षर एवं मुद्रा)

दिनांक:-

नाम

स्थान:-

पदनाम

फर्म/पत्र व्यवहार का पता

सील